उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-55/2017/ एस-2-3120(1)/दस-2017-88क(10)/2017टी0सी0-।।,

लखनऊ :: दिनाँक:: 12 दिसम्बर, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहाँ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री पुष्पराज, वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।	वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा (पद के ग्रेड वेतन को श्री पुष्पराज की तैनाती तक ग्रेड वेतन रू0 7600 में डाउन ग्रेड करते हुए)
2	श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
3	श्री विनोद कुमार, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती।	वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी, अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संजय गोयल

विशेष सचिव।

<u>संख्या-55/2017/एस-2-3120(1)/दस-2017-88क(10)/2017टी0सी0-।।,तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
2- प्रचार्य, मेडिकल कलेज, आगरा।
3- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर/बस्ती/आगरा/फिरोजाबाद।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6- जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती।

7- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर/बस्ती/आगरा/फिरोजाबाद।

8- संबंधित अधिकारीगण ।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।